

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

202567 - वह औरत से निकलने वाले तरल पदार्थों का हुक्म नहीं जानती थी और एक ही वुजू से कई नमाज़ें पढ़ती थी, तो उसके लिए अनिवार्य है ?

प्रश्न

मैं महिला से निकलने वाले तरल पदार्थों का हुक्म नहीं जानती थी और शादी होने से पहले एक ही वुजू से एक से अधिक नमाज़ पढ़ती थी, तो मेरे ऊपर क्या अनिवार्य है जबकि ज्ञात रहे कि यह कई सालों तक था ?

मुझे याद नहीं है कि मेरे तरल पदार्थ निकलता था या नहीं, लेकिन अब अक्सर समय निकलता रहता है, और यात्रा के समय मेरे लिए बहुत कष्ट का कारण होता है। और क्या जब मैं हरम में रहूँ और वुजू कर लूँ और मुझे उसके निकलने का एहसास न हो तो क्या मैं पवित्रता पर बाक़ी रहूँगी ? और अगर बाहर निकलने पर मैं कोई चीज़ पाऊँ तो क्या मेरे ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

ये तरल पदार्थ और स्राव जो औरत से निकलते हैं विद्वान लोग इसे योनि की नमी (गीलापन) का नाम देते हैं। यह पारदर्शी स्राव होते हैं, कभी कभार महिला को इनके निकलने का एहसास नहीं होता है, और औरतें इस बारे में कमी व बेशी के एतिबार से भिन्न-भिन्न होती हैं।

उसके हुक्म के बारे में राजेह बात यह है कि वह पाक (पवित्र) है ; क्योंकि उस नमी के अशुद्ध होने पर कोई प्रमाण नहीं है।

इस आधार पर, उस कपड़े और शरीर को धोना अनिवार्य नहीं जिसमें यह तरल पदार्थ लग जाते हैं।

जहाँ तक उसके द्वारा वुजू टूटने के एतिबार से उसके हुक्म का संबंध है : तो इब्ने हज्म रहिमहुल्लाह इस बात की ओर गए हैं कि यह नमी वुजू को नहीं तोड़ती है।

जबकि जम्हूर विद्वान इस बात की ओर गए हैं कि यह वुजू को तोड़ देती है, सिवाय इसके कि वह औरत के साथ निरंतर बनी रहे, तो ऐसी अवस्था में वह हर नमाज़ के लिए उसका समय शुरू होने के बाद वुजू करेगी। इसके बाद तरल पदार्थ का

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

निकलना उसे नुकसान नहीं पहुँचायेगा। इस तरह ऐसी महिला का हुक्म, उज्र वाले लोगों के हुक्म के समान है, जैसे वह व्यक्ति जिसे सलसुल-बौल (निरंतर पेशाब आने) की बीमारी है, तथा इस्तिहाजा वाली औरत और इनके समान अन्य लोग जिनकी नापाकी स्थायी होती है।

तथा कुछ लोग इस बात की ओर गए हैं कि निरंतर अपवित्रता (नापाकी) वाले के लिए हर नमाज़ के लिए वुजू करना ज़रूरी नहीं है। सिवाय इसके कि वह उस नापाकी जो उसके साथ निरंतर बनी हुई है, के अलावा किसी दूसरी नापाकी में मुब्तला हो जाय। इसके अलावा स्थितियों में उसके लिए वुजू करना मुस्तहब है, उसके ऊपर अनिवार्य नहीं है।

इब्ने अब्दुल बर्र फरमाते हैं : इमाम मालिक के निकट उसके ऊपर वुजू करना मुस्तहब है, अनिवार्य नहीं है . . .

वह कहते हैं : और जिन लोगों ने कहा है कि इस्तिहाजा वाली औरत पर वुजू वाजिब नहीं है उनमें : रबीअह, इकरिमा, मालिक, अययूब और एक समूह है। देखिए "अत्-तमहीद" (16/98), "फत्हुल बारी ले-इब्ने रजब" (2/73).

और यही कथन शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह का वह अंतिम चयन है जिस पर वह क़ायम रहे।

देखिए : "अश्-शर्हुल मुम्ते अला ज़ादिल मुस्तक़नेअ" (1/503)

यहाँ तक कि अगर उसके द्वारा वुजू टूटने की बात को मान भी लिया जाए : तो अगर आप इस बात को नहीं जानती थीं कि इन तरल पदार्थों से वुजू टूट जाता है और आप कई नमाज़ें एक ही वुजू से पढ़ती थीं, तो राजेह कथन के अनुसार आपके ऊपर पिछली नमाज़ों को दोहराना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि आप जानकारी न होने की वजह से क्षम्य (माज़ूर) हैं।

तथा प्रश्न संख्या (102504) का उत्तर देखें।

जहाँ तक भविष्य का संबंध है तो, इस मुद्दे में मतभेद से बचते हुए, आपका हर नमाज़ के लिए वुजू करना सबसे बेहतर है। अतः आदमी को इस तरह के मामलों में एहतियात (सावधानी) से काम लेना चाहिए। क्योंकि वुजू के अनिवार्य होने की बात कहने वालों के कथन के आधार पर : अगर ऐसा नहीं हुआ तो इबादत बातिल (अमान्य) हो जायेगी। तथा यहाँ तक कि जो लोग वुजू के अनिवार्य होने की बात नहीं करते हैं, वह भी इसे मुस्तहब समझते हैं।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।